हायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

170/2024 शीर्षक ......लक्ष्मण........ बनाम ......सरकार......

कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
प्रा.पे. दर्ज रजिस्टर कर सम्मन बनाम मुद्दा की मय नकल 251 A नोटिस जारी कर वास्ते जवाब दि. 13.01.25 को पेश हो ।	
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द	
13-1-25	
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थिति पीठासीन अधिकारी राज काज भ्रमण/अवकाश पर है । पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 24-3-25 को पेश हो ।	
24.03.25 पत्रा० पेश हुई अधि० प्रार्थी उप/ विपक्षी पेशकार उप/ मौका रिपोर्ट दि० 22.01.25 को प्राप्त/ पत्रा० वास्ते बहस दि० 04-04-25 को पेश हो।	
04.04.25 पत्रा० पेश हुई अधि० प्रार्थी उप/ पेशकार उप/ बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्र० पत्र धा० 251A स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय/ आदेश पृथक से लिखवाया जाकर पा० प्रा० किया गया। पत्रा० फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी हो।	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम :— **बृजेश गुप्ता (R.A.S)**

मुकदमा नम्बर :— 170 / 2024

किस्म मुकदमा :— प्रार्थना पत्र

दायर दिनांक :— 19.11.2024

निर्णय दिनांक :— 04.04.2024

अनवान

1. लक्ष्मण पुत्र नन्दा भील निवारी सथाना तह. व जिला राजरामन्द। ....**प्रार्थी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुंवारिया जिला राजसमन्द। ....**विपक्षी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित

वकील प्रार्थी :— श्री शेषमल गाडरी

विपक्षी :— पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सथाना पटवार हल्का भाटोली तहसील राजसमन्द मे स्थित आराजी नम्बर 1352 / 113 कुल किता 1 कुल रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी की उक्त आराजी के पास खसरा संख्या 113 / 3 किस्म बिलानाम होकर विपक्षी राज्य सरकार की है। उक्त आराजी संख्या 113 / 3 में रास्ता विद्यमान है अर्थात मुख्य रास्ता आराजी संख्या 116 जो सथाना से जाता है से होकर उत्तर से दक्षिण तरफ रास्ता जाता है जो सदीप से मौजुद है उक्त रास्ते से ही प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 1352 / 113 में आता जाता है और मौके पर भी उक्त रास्ता चालू होकर प्रार्थी इसी रास्ते से आ जा रहा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकित नहीं होने से आये दिन उक्त रास्ते को लेकर विवाद उत्पन्न होते है इसलिए प्रार्थी आराजी संख्या 113 / 3 में अवस्थित रास्ते को राजस्व रेकार्ड में अंकित करा नक्शे में पैमुद कराना चाहता है। प्रार्थी इसका उपयोग उपभोग कर रहा है एवं उक्त रास्ता सदीप से मौजुद होकर मौके पर चालू है। प्रार्थी की भुमि में जानें का एक मात्र विपक्षी की उपरोक्त वर्णित आराजीयात में से होकर उक्त जाने वाला ही एक मात्र रास्ता हैं प्रार्थी की भुमि में जाने आने के लिए अन्य कहीं से भी कोई रास्ता मौजुद नहीं है। जिस वजह से प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 क के अन्तर्गत रास्ता कायम एवं रेकार्ड पर नक्शे इत्यादि में 40 फीट चौडा रास्ता दर्ज कराने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है तथा परिपत्र कमांक प.3 (17) स्थान राज.–6 / 21 पार्ट / 91 दिनांक 30.09.2021 की पालना में आम रास्तो को राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने हेतु धारा 251 ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम सथाना पटवार हल्का भाटोली तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द में स्थित विपक्षी की आराजी संख्या संख्या 113 / 3 में मौजुद 40 फीट चौडे रास्ते की भूमि उत्तर से दक्षिण दिशा की और प्रार्थी की भुमि आराजी संख्या 1352 / 113 तक जो पहले से रास्ते के रूप में मौजुद है, उपलब्ध कराई जावें एवं उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में घोषित करते हुए रास्ते के रूप में दर्ज कराया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। विपक्षी सरकार की और से पेरोकार राज उपस्थित हुए। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम मे तहसीलदार राजसमन्द से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार राजसमन्द ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सथाणा में आराजी नं. 1352 / 113 रकबा 0.8094 है० भूमि में आने जाने के लिए प्रार्थी लक्ष्मण भील निवासी सथाणा द्वारा आराजी नं. 113 / 3 में से रास्ता चाहा गया है। मौका व रिकॉर्ड निरीक्षण अनुसार उक्त आराजी नम्बर में आने जाने का रास्ता नहीं है। मौके पर खातेदार की भूमि के समीप उत्तर–पश्चिम दिशा में स्थित आराजी नं. 113 / 3 रकबा 2.4686 है० किस्म बंजड बिलानाम भूमि में से ही आना जाना होता है एवं 113 / 3 के पास आराजी नं. 116 किस्म रास्ता दर्ज रेकॉर्ड है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुना दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता आवश्यक प्रकृति का है,

अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुनकर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी 2077–77 अनुसार राजस्व ग्राम सथाना पटवार हल्का भाटोली तहसील राजसमन्द मे स्थित आराजी नम्बर 1352/113 कुल किता 1 कुल रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी कृषि की है। उक्त आराजी मे आवागमन हेतु प्रार्थी द्वारा बिलानाम आराजी नम्बर 113/3 मे से रास्ता चाहा गया। तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु मौके पर रास्ता उपलब्ध है किन्तु उक्त रास्ता रिकॉर्ड मे दर्ज नही है, प्रार्थी द्वारा विपक्षी की भूमि से चाहे गये रास्ते की वास्तविक आवश्यकता है एवं वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही है। प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि मे आवागमन हेतु बिलानाम आराजी नम्बर 113/3 मे से 40 फीट चौडा रास्ता चाहा गया है। जबकि नियमानुसार अधिकतम 30 फीट रास्ता देय है। तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे प्रार्थी को अपनी भूमि मे आवागमन हेतु आराजी संख्या 113/3 मे से 6 मीटर (करीबन 20 फीट) चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है, जो प्रार्थी को दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम सथाना पटवार हल्का भाटोली तहसील राजसमन्द मे स्थित आराजी नम्बर 1352/113 कुल किता 1 कुल रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि मे प्रार्थी के आवागमन हेतु बिलानाम आराजी नम्बर 113/3 किस्म बंजड मे से 0.0384 हैक्टेयर भूमि को रास्ते के रूप मे कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। दिनांक 22.01.2025 को प्राप्त मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ता कायम किया जावे। प्रार्थी द्वारा रास्ते के रूप मे प्रयुक्त होने वाले रकबे की डीएलसी दर की दुगुनी राशि अदा करने पर राजस्व रिकॉर्ड मे रास्ता दर्ज किया जावे। नियमानुसार प्रार्थी उक्त राशि राजकोष मे जमा करावे। तहसीलदार राजसमन्द को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार गणना की गई राशि प्रार्थी द्वारा राजकोष मे जमा किये जाने के उपरान्त निर्णय अनुसार पालना करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

बृजेश गुप्ता (R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

उक्त आदेश आज दिनांक 04.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद